शाहजमाल में बारिश के बाद घर छोड़ने की मजबूरी

जोन तीन में स्थित शाहजमाल, ईदगाह, एडीए कालोनी में तीन से चार दिन नहीं निकलता है पानी, जनजीवन होता है प्रभावित

सुनिए मेयर साहब
#जलभराव के विरुद्ध 05

शाहजमाल स्थित पंपिंग स्टेशन।

बारिश में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। शाहजमाल का पंपिंग स्टेशन फेल हो जाता है। जलजमाव के कारण लोगों को घर छोड़कर दूसरों के घरों में रहना पड़ता है।
परवेज पठान

आबादी लगातार बढ़ रही है। बारिश अब मानसून के हिसाब से नहीं होती है। किसी भी समय अधिक बारिश हो जाती है। इससे शाहजमाल व रोरावर का क्षेत्र में जलभराव की स्थिति भयानक हो जाती है।
मशरूफ हुसैन, महजर।

जलभराव की स्थिति हरसाल समान रहती है। कोई समाधान नहीं हो रहा है। बारिश तेज हो जाती है तो जनजीवन ठप हो जाता है। छुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें दो से तीन दिन पानी भरा रहता है।
इंतियाज अली

बारिश में ऐसी स्थिति बन जाती है कि घर से बाजार जाना दुश्वार हो जाता है। अलीगढ़ में बारिश के बाद घर से संभलकर निकलना पड़ता है। कम्रिस्तान में भी जलभराव हो जाता है। जरूरी वस्तुओं के लिए भी परेशान होते हैं।
बदृत खां

जोन तीन के वार्ड 83 जो रोरावर के नाम से जाना जाता है। आबादी लगभग 20 हजार से अधिक है। यहां पर शाहजमाल ईदगाह के पास एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। इस पंपिंग स्टेशन के माध्यम से ही वार्ड व उसके आस-पास का पानी निकलता है। इस वार्ड के आस-पास एडीए कालोनी, मरचट, टनटनपड़ा, देहली गेट, खैर रोड, समेत अन्य स्थानों का पानी शाहजमाल पंपिंग स्टेशन से निकाला जाता है और अलीगढ़ ड्रेन में जाता है।

बारिश के दिनों में जोन तीन में कोई ऐसा इलाका नहीं बचता है जहां पर पानी नहीं भरता हो। पानी कई दिनों से घरों व मोहल्लों में जमा रहता है। लोगों को आफिस, बाजार व बच्चों को स्कूल कालेज आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। सितंबर 2022 में बारिश हुई थी, जिसमें शाहजमाल पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से डूब गया था। पंप को बंद करना पड़ा था। लाखों की आबादी को जलभराव की समस्या को झेलना पड़ता है। यह समस्या केवल जोन तीन की नहीं बल्कि दूसरों की हालत भी कमोबेश एक है। सबसे अधिक परेशानी एडीए कालोनी के लोगों को होती है।

ओवरलोड है शाहजमाल पंपिंग स्टेशन : शाहजमाल पंपिंग स्टेशन ओवर लोड चल रहा है। इस पंपिंग स्टेशन पर शाहजमाल क्षेत्र, जंगलगढ़ी, देहली गेट, खैर रोड, चरकवालान, हड्डी गोदाम, तुर्कमान गेट व सराय कावा के एरिए के का पानी जाता है। यहां से पानी पंप करने के बाद मथुरा रोड ड्रेन में डाला जाता है। नए पंपिंग स्टेशन के साथ यहां पर क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक नगर निगम की कोई से पहल नहीं की गई है। मानसून आने पर फिर से यहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

घरों व दुकानों में भर जाता है पानी : वार्ड 83 रोरावर व उसके आस-पास सटे तेलीपाड़ा, शाहजमाल, ईदगाह, एडीए कालोनी में जलजमाव की स्थिति विकट हो जाती है। घरों व दुकानों में पानी भर जाता है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी लोगों को घर आफिस, कोर्ट, कचहरी व बाजार जाने में होती है। आस-पास के मार्गों पर पानी भरने के कारण नालों का पता नहीं चलता है कि नाले कहां बने हैं।

क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड में दिया था : पार्षद मशूरफ हुसैन महजर ने बताया कि शाहजमाल पंपिंग स्टेशन ओवर लोड है। जिसके कारण पानी धीमी गति से निकलता है। पंपिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाए जाने के साथ यहां नया पंपिंग स्टेशन एक और बनना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्थानों पर पंप लगाने की जरूर है।

शहर 30

शिवपुरी के प्राचीन शिव शनि मंदिर में शनि देव महाराज की जयंती पर महाआरती करते हेमंत गर्ग व अन्य।

शिवपुरी के शनि देव मंदिर में की महाआरती

अलीगढ़। शिवपुरी के प्राचीन शिव शनि मंदिर में शनि देव महाराज की जयंती मनाई गई। 151 दीपों से शनिदेव की महाआरती की। प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम संयोजक हेमंत गर्ग ने बताया कि हर साल मंदिर में शनि देव की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। कार्यक्रम में हरीश सैनी, दिनेश अग्रवाल, सुनील कुमार, कन्हैया बाल्मीठि, आशु, अमित श्रीवास्तव, नईम, फरीद, मधु अग्रवाल, अंजना गर्ग, सुमन शर्मा, सुषमा चौधरी, अर्पणा शर्मा, शिप्रा गर्ग, करिश्मा गर्ग आदि मौजूद रहे।

एमिटी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम में मां के सम्मान में प्रस्तुति देते बच्चे।

मां के सम्मान में किया कविता पाठ

अलीगढ़। एमिटी पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। मातृ शक्ति का वंदन किया। जुनियर वर्ग की कक्षाओं में छात्र-छात्राओं ने मां के सम्मान में कविता पाठ किया। गीत गाकर वाहवाही लूटी। डांस की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। शांवी शर्मा और प्रियांशी सिंह की कविताएं सराही गई। प्रबंधिका ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। रिया चौधरी, सौनल और सृष्टि की डांस प्रस्तुति को देख बड़ों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया।

मदर्स टच सीनियर सेकंडरी स्कूल में फन पाठशाला में गेम्स में प्रतिभाग करते छात्र।

म्यूजिकल चेयर गेम में मोहित व पल्लवी अव्वल

अलीगढ़। मदर्स टच सीनियर सैकेंड्री स्कूल में फन पाठशाला का आयोजन किया गया। कक्षा नौ से 12 तक के बच्चों ने फन गेम्स खेले। प्रिंसिपल आरती मित्तल ने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ गेम्स जरूरी हैं। म्यूजिकल चेयर गेम में मोहित चौधरी और पल्लवी चौहान विजय रही। म्यूजिकल हाऊसी में शिवम और खुशी शर्मा विजयी रहे। ग्लास पास में पल्लवी चौहान विजय रही। शगुफ्ता परवीन, नीरज कुशवाह, रंजना यादव आदि ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।

मंगलायतन विवि में हुए पुरातन छात्र मिलन समारोह का शुभारंभ करती चेयरमैन की माताजी त्रिवेणी देवी।

पुराने छात्र मिले तो ताजा हो गईं पुरानी यादें

अलीगढ़। मंगलायतन विवि में हुए पुरातन छात्र मिलन समारोह में जब पुराने छात्र मिले तो छात्र जीवन की यादें ताजा हो गईं। पुरातन छात्रों का स्वागत तिलक लगाकर किया। पुरातन छात्र परिषद की अध्यक्षा डा. सोनी सिंह को बुके दिए। एमयूएसयी के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने व एलुमनी अफेयर्स के डायरेक्टर प्रो. सिद्धार्थ जैन ने विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए उनकी कुशल क्षेम पूछी। पुरातन छात्रों ने छात्र जीवन के जुड़े संस्मरण सुनाकर पुरानी यादों को ताजा किया।

मंगलायतन विवि में अनुज शर्मा को मेडल व प्रमाण पत्र देते कुलपति प्रो. पीके दशोरा।

मंगलायतन विवि के अनुज ने जीता गोल्ड मेडल

अलीगढ़। यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 13 से 15 मई को नई दिल्ली में हुए यूथ गेम्स नेशनल गोल्डन कप के आयोजन में मंगलायतन विवि के खिलाड़ी अनुज ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। अनुज शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी देवराज को 21.17 से हराकर जीत दर्ज कराई। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्डन कप व गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शुक्रवार को कुलपति प्रो. पीके दशोरा ने अनुज शर्मा को गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

दीवार लेखन में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

अलीगढ़। पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए वर्ष जल संचयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एएमयू के दृष्टिबाधित के अहमदी स्कूल में 'जल शक्ति अभियान : कैच द रेन-2023' के अंतर्गत 'पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता' थीम के तहत एक दीवार लेखन (नारा लेखन) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंजू (10), कशिश (8), आतिफा खातून (8), फौजिया खान (7), जौहर बाबू (7) और बाबू खान (6) ने भाग लिया। प्रावायों डा. नायला रशीद मौजूद रहीं।

अभा पंचायत परिषद में हुए शामिल

अलीगढ़। अखिल भारतीय पंचायत परिषद लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। शुक्रवार को परिषद से दो नए सदस्य अलीगढ़ बार ऐसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गेश दंद गौतम और पूर्व पार्षद बंदूखा जुड़ गए। परिषद के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी ठाकुर गयेंद्र सिंह दोनों का स्वागत किया। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के कार्यों से प्रभावित होकर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने को सभी पंचायत परिषद में शामिल हो रहे हैं।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष बने संजीव

अलीगढ़। वर्तमान समय चल रहे पुरानी पेंशन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन को गतिमान करने के उद्देश्य से ग्राम विकास एवं ग्राम पंचायत समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष व परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चौधरी को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। ये जानकारी परिषद के मंत्री शिव कुमार ने दी है।

कार्यालय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

पत्रांक– 188/ए–सहा0/निर्वाचन/दिनांक–19.05.2023

सूचना

एतद्द्वारा अलीगढ़ केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 जनपद अलीगढ़ के प्रबन्ध कमेटी सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ दैनिक हिन्दुस्तान के दिनांक 06.05.2023 के अंक में प्रकाशित अनन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों पर निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त निम्न प्रकार संशोधन करते हुए उ0प्र0 राज्य सहकारी निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम 16–27(5) के अन्तर्गत शेष अनन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों को ही अन्तिम निर्वाचन क्षेत्र अवधारित किया जाता है।

क्रम0सं0	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार	निर्वाचित होने वाले संचालकों की सं0	आरक्षण की श्रेणी
1	आठ	अतरौली तहसील की समस्त सदस्य समितियां।	दो	अनारक्षित
5	छः	निर्वाचन क्षेत्र दो के प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार।	एक	अनु0जा0
7	दस	सिकन्दराराऊ तहसील की समस्त सदस्य समितियां	एक	महिला,
8	दो	निर्वाचन क्षेत्र छः के प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार।	एक	महिला

प्राधिकृत अधिकारी/
मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/
उप आयुक्त एवं उप निबन्धक,
सहकारिता, अलीगढ़ मण्डल।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अलीगढ़

पत्रांक- 10115/नाजिर/2023-24 दिनांक- 19.05.2023

सार्वजनिक सूचना/प्रेस-विज्ञप्ति

एतद् द्वारा बजरिये इस नोटिस सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि धनौपुर हवाई पट्टी के विकास / विस्तारीकरण हेतु प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण से प्रभावित ग्राम- अलहदादपुर, खानगढ़ी, निजामतपुर बोरना, ईकरी, पनैठी, पिखलौनी तहसील कोल जिला अलीगढ़ की निम्नानसार भूस्वामियों के गाटा संख्याओं की भूमि प्रभावित हो रही हैजिसमें राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011/19 मार्च, 2015 के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर प्रभावित भूमि के विक्रय पत्र श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक. नागरिक उड्डयन अ0प्र0 के पक्ष में निष्पादित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उक्तभूमि में किसी भी व्यक्तिद्वारा क्रय-विक्रय या अन्य कारणों से वाद-विवाद है, तो उक्तस्थिति से विलम्बवत् सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूस्वामियों से प्रभावित भूमि का बैनामा सम्पादित करा लिया जायेगा।

फेज-1 को अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल निम्न ग्रामों में गाटा का विवरण निम्नवत् है:-

1. ग्राम खानगढ़ी-

गाटा संख्या- 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,48 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,98मि0,153,158,160,161,162,163,165, 166,168,169,176,189,190,197,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219, 220,221,223,224,225/308,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,237, 238,241,243,244,245,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259, 260,261,262,263,264,265,266,267,268,270,271,273,274,275,277,278,279,280, 281,282,283,284,285,286,287,298,299,300,301,302,303,

2. ग्राम निजामतपुर बोरना -

गाटा - 62, 63, 64, 66, 67, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 184, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 203, 204, 206, 208, 209, 212, 214, 216, 218, 220, 221, 236, 239, 241, 243, 244, 246, 250, 251, 252

3. ग्राम अलहदादपुर -

गाटा संख्या- 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 856, 857, 858, 859, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 958, 959, 960, 961, 963, 971, 972, 973, 974, 976, 977, 979, 980, 981, 982

फेज-2 के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल निम्न ग्रामों में गाटा का विवरण निम्नवत् है:-

1. ग्राम अलहदादपुर -

गाटा संख्या- 563, 564, 565, 567568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578,579, 804,805,806,807,810,811,812,813,814,815,816,817,820,821,822,823,824,825,827, 828,829,830,831,832,833,834,835,846,847,859,860,861,862,864,866867, 868, 878, 879, 933, 954, 955, 956, 957, 963, 966, 967, 968, 969, 971, 972, 974, 976, 978, 981, 982, 983, 984, 986, 987, 988, 989, 991, 993, 994, 997, 998, 999, 1001, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019

2. ग्राम ईकरी -

गाटा संख्या- 15,72,73,74,75,79,80,81,82,83,85,86,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99, 104,105,609

3. ग्राम पनैठी -

गाटा संख्या- 1,2,13,15,17,19,20,21,24,25,26,27,29,30,32

4. ग्राम निजामतपुर बोरना -

गाटा संख्या- 86,87,88,89,90,91,221,223,224,225,226,228,229,230,231,232,233,234, 235,236,244,246,248,251

5. ग्राम खानगढ़ी -

गाटा संख्या- 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32, 42,43,44,45,46,47,48,58,61,62,63,64,66,67

6. ग्राम पिखलौनी -

गाटा संख्या- 470,498,499,501,507,508

अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित भूमि से सम्बन्धित आपत्ति/स्वामित्व सम्बन्धी दावा आदि एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
अलीगढ़।

अनुलग्नक-1

स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में ट्रांसमिशन योजना के प्रकाशन के लिए प्रारूप जनता से टिप्पणियां// प्रतिनिधित्व आमंत्रित करता है

पब्लिक नोटिस

"खंडुस्वल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड" का पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग, वसंत विहार, आर्मी हॉस्पिटल एंड रेफरल के सामने, नई दिल्ली-110 057 में है, जिसने बिजली के संचरण के लिए या टेलीफोनिक संचार के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत बिजली लाइनों या विद्युत संयंत्र को रखने के लिए भारत सरकार को सभी शक्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन किया है / सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए टेलीग्राफ लाइनों और पदों को रखने के संबंध में या इस प्रकार स्थापित या रखरखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास मौजूद कार्यों का उचित समन्वय और कमीशनिंग के बाद सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, निर्माण और अन्य कार्य करेगा, निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के लिए संचालन, रखरखाव और अन्य कार्य।

ट्रांसमिशन योजना का नाम: "खंडुसल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड "

योजना के तहत कवर किए गए कार्य:

क्रमिक संख्या	ट्रांसमिशन स्कीम का दायरा	क्षमता / किमी
1	400 केवी डी/सी खंडुसाल (श्रीनगर) - रामपुरा(काशीपुर) लाइन (ट्विन एचटीएलएस *)	194 किमी (लगभग)
2	रामपुरा (काशीपुर) में 1x80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर खंडुसवल (श्रीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) लाइन के प्रत्येक सर्किट पर समाप्त होता है	420 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण -2 नं। 420 केवी, 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर- 2 नं।
3	1 नं. रामपुरा (काशीपुर) में 400 केवी लाइन बे की	400 केवी लाइन बे -1
4	खंडुसवल (श्रीनगर) में मौजूदा 400 केवी बे का उन्नयन	400 केवी लाइन बे -2 के लिए उन्नयन कार्य
5	मौजूदा 1 नं. रामपुरा (काशीपुर) में संबद्ध टाई बे के साथ लाइन बे और आईसीटी बे सहित 400 केवी व्यास का	400 केवी लाइन बे के लिए उन्नयन कार्य - 1 नं। 400 केवी आईसीटी बे के लिए उन्नयन कार्य - 1 नं। टाई बे -1 नं का उन्नयन।

इस योजना के अंतर्गत कवर की गई पारेषण लाइनें निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर गुजरेंगी: -

परियोजना का नाम: 400 केवी डीसी खंडुसाल (श्रीनगर) से रामपुरा (काशीपुर) ट्रांसमिशन लाइन

गांवों की सूची

क्रमिक संख्या	जिला	तहसील	गांवों
1	पौड़ी	श्रीनगर	खंडूस्याल, कंडी, सवांडू, गोंडी लगा सवांडू, डेल, कंडामल्ला, कंडातल्ला, कंडोली, बडुला, सपलाना, गिरगांव, जोगियाना लगा गिरगांव, कोटि लगा गिरगांव..
2	पौड़ी	पौड़ी	कुरियाली मल्ली, अशनोली, छतकोट, आमकोट, मिटाई मल्ली रेवाडी बिचली, बटोला डंडारी टल्ली, डोबल, कमंद गुठ, डंडाल गांव पंदोल राय गुंथ राय बिचाली बिचाली गडोली, डोबिला, भीमली मल्ली, खुखी पसुद, मासो, सिलेट, बामना गांव, मलनाडी मल्ली, गढ़ीडूला, सिर्चोड़, सुजान गांव, सगुड़ा, सिर्चोड़ा, संख तल्ला संख, रिठोनी, नगर, बडियाल, गदलिंग, बडियाल, सुरसू, सुराल गांव लग लाडंक, डंक, रिगवाड़ गांव, लगा कांडा, कामद गुठ।
3	पौड़ी	सतपुली	मलेंडी, उलखेत, हंडुल्ला तल्ला, हंडुल्ला मल्ला,
4	पौड़ी	लैंसडाउन	पुंडियार, मंजकोट, किमार, महार गांव, डंगवाल खेत, भुवाली, कोटा, लमराडा, शेली, डौंड, जलेठा, लुप्चा, बरस्वर, गवरी, जादलगांव, पालीगांव, कोटा, उमरीखेत, कालसी, डबरा।
5	पौड़ी	कोटद्वार	अल दावा, सैदपुर, जावरा, झामर गढ़ी, तल्ली, झमार गढ़ी, मल्ली।
6	बिजनौर	नगीना	अंदुवाला, अनूप नगर, औरंगाबाद उर्फ लालवाला, औरंगजेब पुर शाहली, बंसुवाला, बावन सराय, भज्जावाला, चाहरवाला दामोदरवाला, इस्लामाबाद, इस्लामपुर उर्फ कुतुबवाला, जहानाबाद, कयामनगर, दोदरा जपुर, कुजेता, मनोवरपुर, सैद मिठोपुर, मिरजलीपुर, चौहर उर्फ भोजवाला, मोहम्मदपुर, गढ़ी मूर्तजाबाद उर्फ गुलरिया, राधोदास पुर, रहमापुर, उस्मापुर रामनगर, डब्बा, खुलपुर मिठे, सादातपुर, गढ़ी शाह अलीपुर, कोटरा, सुलेमा शिकोह पुर, सुंदर वाली, तारा पुर, उमरपुर, बरखेड़ा
7	बिजनौर	धामपुर	अमयराजपुर, अकबरपुर जामिन मान, अल्लाहपुर मोखम, औरंग शाहपुर नारायण, बादशापुर शाह मोहम्मद, बादशापुर लक्ष्मी सेन, बहादुर नागा, फतेहपुर जमाल उर्फ मनोहर वली, फिरोजपुर अमरोल गैर, अहतमाली, हरकिशन पुर, हरपुर (अफजलगढ़) हरपुर (धामपुर), हाजी पुर मुकट, राय जाफरबाद, जगजीवन पुर, खुजिस्तानाबाद, कोटरा टप्पा इंदौली, मोहम्मद अली पुर लालमणि, मोहम्मदपुर रजौरी, सुराद नगर, नगला माणक, नवादा इकौमपुर गोपाल, नवादा सैदपुर जलाल, सादातबाद, सुभावाला
8	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	फैजुल्लागंज, फरीद नगर, मालपुरा लक्ष्मीपुर, मोहम्मद गंज, रघुवाला, रामनावाला
9	रामपुर	स्वर	पट्टी कलां
10	उधमसिंहनगर	काशीपुर	अमियावाला, असलतपुर, बबरेरखा, बांससेड़ा कलां, बांससेड़ा खुर्द, बरखेड़ा पाण्डेय, बरखेड़ा राजपूत, बरखेड़ी, बवाई, चाणक्यपुर, डमीरा धेतामाली, डमीरा मुसलमान, देवी पुरा, दाकिया कलां, दोहरी चकीला, गिरधर्ई, जगन्नाथपुर, जैतपुर पाखीवाला, कनक पुर, खत्तमाली, खरमाया, कुंदेश्वरी, महुआ डबरा हरिपुरा, मुरलीताला नागरिया गुलांगर, पच्चावाला, पट्टी बाजार, शाह गंज, शिव लाल पुर इल्लू, सीतामार पुर, तालाबपुर।

मार्ग संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। एतद्द्वारा आम जनता को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले (20.07.2023) से दो महीने के भीतर प्रस्तावित पारेषण प्रणाली पर लिखित रूप मेंअधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अवलोकन/प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटिस दिया जाता है। अधिक विवरण और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:

प्रवीण शरद दीक्षित (निर्देशक)
दूसरी मंजिल, निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग, वसंत विहार,
आर्मी हॉस्पिटल एंड रेफरल के सामने, नई दिल्ली-110 057,
ईमेल: psd@mail.in फोन नं.: +91-11-2614077 Fax: +91-11-41052064

दिनांक: 20.05.2023

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखा: मथुरा होली गेट

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) (सरफेसी एक्ट) के तहत नोटिस

अधोहस्ताक्षरकर्ता है **इंडियन बैंक (पू-इलाहाबाद बैंक)** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित ऋणियों/गारंटरों को मांग सूचना जारी की थी और मांग सूचना पत्र उनके अन्तिमज्ञात एवं आवासीय पतों पर रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये थे। पुनः इस सूचना के प्रकाशन द्वारा ऋण ग्रहिता, गारंटरों को, जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया था, को सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के 60 दिन के अन्दर अपने सभी अधोवर्णित ऋणों का भुगतान कर दें। इसके साथ ही, ऋणी/गारंटरों को विशेष रूप से और सर्व साधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा गौचे दी गई सम्पत्ति के साथ क्रय-विक्रय व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है जो कि इसी शान प्रतिभूति के रूप में रखी गयी है।

ऋण खाता/ऋणी/बंधककर्ता/ गारन्टर के नाम व पते	बन्धक सम्पत्तियों का विवरण	नोटिस की तिथि	देयताएं (रू.)
ऋणी- श्री शशिद पुत्र श्री बाबू, सह-ऋणी एवं बंधककर्ता- श्रीमती रिहाना पत्नी श्री शशिद, दोनों का पता- प्लॉट नंबर 769, 769 ए, गोविंद नगर, सेक्टर-एक, तहसील एवं जिला मथुरा, गारंट- श्री कलुआ पुत्र श्री अली मोहम्द, पता- 769 एफ, गोविंद नगर, सेक्टर- एक, तहसील और जिला मथुरा	आवासीय संपत्ति के सभी भाग एवं खंड स्थित प्लॉट नंबर 769 एवं 769 ए, गोविंद नगर सेक्टर-एक, तहसील एवं जिला मथुरा, एरिया- 167.00 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री श्रीमती रिहाना पत्नी श्री शशिद के नाम, चौहददी: पूर्व- भाग संपत्ति संख्या 769-एफ, पश्चिम- गोविंद नगर की अन्य संपत्ति, उत्तर- सड़क 30 फीट चौड़ी, दक्षिण- संपत्ति संख्या 781 ए एवं गोविंद नगर की अन्य संपत्ति	10.03.2023	31,63,064/- दि. 01.03.2023 तक + ब्याज व अन्य खर्चे

साथ ही अन्य कारणों सहित, हमें विश्वास है कि आपको उल्लिखित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी उक्त मांग सूचना ठीक से सेवित नहीं हुई है इसलिए, हम अब उक्त अधिनियम की धारा 13(2), नियम 3 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार अपेक्षित मांग सूचना को प्रकाशित करने के लिए विवश हैं। इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अंदर ब्याज, लागत, प्रासंगिक व्यय, प्रभार इत्यादि सहित अपनी समस्त राशि का भुगतान करें अन्यथा, बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत ऋणी और गारंटरों की सम्पत्तियों का अभिग्रहण कर उसकी बिक्री करने सहित सभी अथवा किसी एक अथवा अधिक बंधक सम्पत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त सम्पत्ति की बिक्री/लीज इत्यादि के माध्यम से स्थानान्तरित करने से और किसी अन्य माध्यम से बाधा डालने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांक 20-05-2023 स्थान : मथुरा
अधिकृत अधिकारी